13/11/13

SC.NO.17(I)

125

# ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001.

No. 576/3/2013-SDR | 211-246 Dated : 13th Nov., 2013

To

The Chief Electoral Officer,
NCT of Delhi.

**Sub : Matter relating to nomination, allotment of symbols, scrutiny etc.**

Sir,

Please refer to your letter No. PA/Addl.CEO/2013/ dated 05-11-13, on the above subject. You have sought clarification on the following points :

1. Whether a candidate is required to file a fresh complete affidavit in case he has been issued memo/checklist for failing to mention the information in the original affidavit filed or will it suffice if he submits an additional affidavit on the points omitted/left blank in the affidavit.
2. Whether a candidate's nomination paper can be accepted if he does not furnish details related to E-mail ID, Social Media account and telephone number.

**Clarification –**

1. Following the Supreme Court's judgment in the case of Resurgence India on the issue of columns left blank in the affidavit, the Commission has issued instructions (vide letter No 576/3/2013-SDR, dated 30th September, 2013) that if columns are found left blank in the affidavit, the RO shall give a notice to the candidate to file an affidavit complete in all respect by the time fixed for scrutiny of nominations. The purpose of obtaining the affidavit is to disseminate the information to the electors so that the electors can make an informed choice of their representative. If the original affidavit is incomplete and a subsequent affidavit is filed in respect of only the blank columns, the electors will find it difficult to get the full information in respect of the candidate as they will have to search in two different places. Therefore, if the original afidavit is incomplete, the candidate should file an affidavit complete in all respects as already mentioned in the Commission's abovementioned

ISSUED ON

letter dated 30th September, 2013. In such cases, the second affidavit which would be the complete one should be disseminated through the website etc.

2. Column for providing details regarding e-mail ID is part of Form 26. This column mentions "e-mail ID (if any)". If a candidate does not have e-mail ID, he may write `nil' or `NA' . Not having an e-mail ID can not be a ground for rejection of nomination. Not furnishing information on Social media account shall also not be a ground for rejection of nomination.

3. Up-to-date list of all political parties and symbols have already been sent you. List of parties allotted common symbol under para 10B has also been sent. Cases of concession under para 10 and 10A are also being sent.

Yours faithfully,

(K.F.WILFRED)
PRINCIPAL SECRETARY

**Copy to the Chief Electoral Officers of all States and UTs for taking note of the clarifications on points 1 and 2 above.**

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली –110001

सं 576/3/2013–एस.डी.आर

दिनांकः 13 नवंबर, 2013

सेवा में

मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली

विषयः– नाम–निर्देशन, प्रतीक चिन्हों का आबंटन, संवीक्षा इत्यादि के संबंध में मामले।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर दिनांक 05.11.2013 के अपने पत्र संख्या पी.ए./ अपर सी.ई.ओ./2013 का अवलोकन करें। आपने निम्नलिखित बिंदुओ पर स्पष्टीकरण मांगा हैः–

1. अभ्यर्थी द्वारा दाखिल किए गए मूल शपथपत्र में सूचना का उल्लेख करने में असफल रहने पर यदि उसे ज्ञापन/जांचसूची जारी किया गया है तो क्या अभ्यर्थी से नए सिरे से पूर्ण शपथपत्र को दाखिल करने की अपेक्षा की जाती है या शपथपत्र में खाली छोड़ें गए/विलोपित बिदुंओं पर अतिरिक्त शपथपत्र दाखिल कराना ही पर्याप्त होगा।

2. क्या अभ्यर्थी के ऐसे शपथपत्रों को स्वीकार किया जाना चाहिए जिसमें उसके ई--मेल आई. डी., सोशल मीडिया एकाउंट तथा दूरभाष संख्या संबंधी ब्यौरों का उल्लेख नहीं है।

स्पष्टीकरणः–

1. शपथपत्र में खाली छोड़े गए स्तंभो के मुद्दे पर रिसरजेंस इंडिया के मामलें में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का अनुसरण करते हुए आयोग ने अनुदेश जारी किए हैं (दिनांक 30 सितंबर, 2013 के पत्र संख्या 576/3/2013–एस.डी.आर. द्वारा) कि यदि शपथपत्र में स्तंभ खाली पाए जाते हैं तो रिटर्निंग ऑफिसर अभ्यर्थी को इस संबंध में नोटिस जारी करेंगे कि नाम–निर्देशन की संवीक्षा के लिए निर्धारित समय तक अभ्यर्थी उसे सभी तरह से पूरा भरकर दाखिल करें। शपथपत्र प्राप्त करने का प्रयोजन निर्वाचकों तक सूचना पहुंचाना है ताकि निर्वाचक अपने प्रतिनिधि के संबंध में समुचित विकल्प चुन सकें। यदि मूल शपथपत्र अपूर्ण है और अनुवर्ती शपथपत्र केवल खाली छोड़े गए स्तंभो के संबंध में दाखिल कराया गया है तो निर्वाचक को अभ्यर्थी के संबंध में पूरी सूचना ढूंढने में कठिनाई होगी क्योंकि उसे दो अलग जगहों पर सर्च करना पड़ेगा। इसलिए, यदि मूल शपथपत्र अपूर्ण है तो आयोग के दिनांक 30 सिंतबर, 2013 के ऊपर उल्लिखित पत्र में किए गए

उल्लेख के अनुसार अभ्यर्थी को सभी तरह से पूरा भरा हुआ शपथपत्र दाखिल करना चाहिए। ऐसे मामलों में दूसरा शपथपत्र जो संपूर्ण है, को ही वेबसाइट इत्यादि पर डाला जाना चाहिए।

2. ई–मेल आई.डी. के संबंध में ब्यौरे उपलब्ध करवाने वाला स्तंभ फार्म 26 का हिस्सा है। यह स्तंभ "ई–मेल आई डी (यदि कोई है)" का उल्लेख करता है। यदि किसी अभ्यर्थी का ई–मेल आई.डी. नही है तो वह 'शून्य' अथवा 'लागू नही' लिख सकता है। ई–मेल आई डी का न होना नाम–निर्देशन के अस्वीकार किए जाने का आधार नहीं हो सकता । सोशल मीडिया एकाउंट पर सूचना न देना भी नाम–निर्देशन की अस्वीकृति का आधार नही हो सकता है।

3. राजनैतिक दलों तथा प्रतीक चिन्हों की अद्यतन सूची आपको पहले ही भेज दी गई है। पैरा–10ख के अधीन एक समान प्रतीक चिन्ह आवंटित किए गए दलों की सूची भी भेज दी गई है। पैरा 10 तथा 10क के अधीन छूट प्राप्त मामलों की सूची भी भेजी जा रही है।

भवदीय,

(के.एफ.विल्फ्रेड)
प्रधान सचिव

सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को उपरोक्त बिन्दु 1 तथा 2 पर दिए गए स्पष्टीकरण पर ध्यान देने के लिए प्रतिलिपी।